रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 1994/आषाढ़ 22, 1916
No. 356] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 1994/ASADHA 22, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1994

का.आ. 516 (अ).— संविधान के अनुच्छेद 371 च के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति निम्नलिखित उपांतरों के अध्यधीन, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) का विस्तारण एतद्द्वारा सिक्किम राज्य में करते हैं, नामतः :—

(1) उक्त अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो सिक्किम राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा किसी ऐसे कृत्यकारी, जो उस राज्य में विद्यमान नहीं है, के किसी संदर्भ का अर्थ उस राज्य में प्रवर्तनीय तत्समान विधि, अथवा विद्यमान तत्समान कृत्यकारी के प्रति संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा :

बशर्ते कि यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी कौन है, अथवा यदि ऐसा कोई तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(2) उक्त अधिनियम के प्रासंगिक उपबंध में उसके प्रारंभ हेतु किसी बात के होते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवर्तनीय होंगे, जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

बशर्ते कि उक्त अधिनियम के भिन्न उपबंधों के लिए और सिक्किम राज्य के भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं, और ऐसे किसी उपबंध में उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के लिए किसी संदर्भ का अर्थ उस क्षेत्र में जहां यह प्रवर्तन में लाया गया है, उस उपबंध के प्रवर्तनीय होने के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा ।

(शंकर दयाल शर्मा)
राष्ट्रपति

[सं. 11013/4/93-एन ई-III]
निलिमा जौहरी, निदेशक (एन.ई.सी.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1994

S. O. 516(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), subject to the following modifications, namely :—

(1) Any reference in the said Act to a law not in force, or to a functionary not in

existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision of the said Act for the commencement thereof, the provisions of the said Act shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the said Act and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the said Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

(Shanker Dayal Sharma)
PRESIDENT

[No. 11013/4/93-NE-III]
NILIMA JAUHARI, Director (NEC)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1994

का.आ. 517 (अ) :— संविधान के अनुच्छेद 371 च के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति निम्नलिखित उपांतरों के अध्यधीन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का विस्तारण एतद्द्वारा सिक्किम राज्य में करते हैं, नामतः :—

(1) उक्त अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो सिक्किम राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा किसी ऐसे कृत्यकारी, जो उस राज्य में विद्यमान नहीं है, के किसी संदर्भ का अर्थ उस राज्य में प्रवर्तनीय तत्समान विधि अथवा विद्यमान तत्समान कृत्यकारी के प्रति संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा :

बशर्ते कि यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी कौन है, अथवा यदि ऐसा कोई तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(2) उक्त अधिनियम के प्रासंगिक उपबंध में उसके प्रारंभ हेतु किसी बात के होते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवर्तनीय होंगे, जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

बशर्ते कि उक्त अधिनियम के भिन्न उपबंधों के लिए और सिक्किम राज्य के भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं, और ऐसे किसी उपबंध में उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के लिए किसी संदर्भ का अर्थ उस क्षेत्र में जहां यह प्रवर्तन में लाया गया है, उस उपबंध के प्रवर्तनीय होने के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा ।

(शंकर दयाल शर्मा)
राष्ट्रपति

[सं. 11013/4/93-एन.ई.-III]
निलिमा जौहरी, निदेशक (एन ई सी)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1994

S.O. 517(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the code of criminal procedure, 1973 (2 of 1974), subject to the following modifications, namely :—

(1) Any reference in the said Act to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision of the said Act for the commencement thereof, the provisions of the said Act shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the said Act and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the said Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

(Shanker Dayal Sharma)
PRESIDENT

[No. 11013/4/93-NE-III]
NILIMA JAUHARI, Director (NEC)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1994

का.आ. 518 (अ) :— संविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति निम्नलिखित उपांतरों के अध्यधीन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) का विस्तारण एतद्द्वारा सिक्किम राज्य में करते हैं, नामतः :—

(1) उक्त अधिनियम में किसी ऐसी विधि, जो सिक्किम राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा किसी ऐसे कृत्यकारी, जो उस राज्य में विद्यमान नहीं है, के किसी संदर्भ का अर्थ उस राज्य में प्रवर्तनीय तत्समान विधि, अथवा विद्यमान तत्समान कृत्यकारी के प्रति संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा :

बशर्ते कि यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी कौन है, अथवा यदि ऐसा कोई तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(2) उक्त अधिनियम के प्रारंभिक उपबंध में उसके प्रारंभ हेतु किसी बात के होते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवर्तनीय होंगे, जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

बशर्ते कि उक्त अधिनियम के भिन्न उपबंधों के लिए और सिक्किम राज्य के भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं, और ऐसे किसी उपबंध में उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के लिए किसी संदर्भ का अर्थ उस क्षेत्र में जहाँ यह प्रवर्तन में लाया गया है, उस उपबंध के प्रवर्तनीय होने के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा ।

(शंकर दयाल शर्मा)
राष्ट्रपति

[सं. 11013/4/93-एन. ई.-III]
निलिमा जौहरी, निदेशक (एन.ई.सी.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1994

S.O. 518(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), subject to the following modifications, namely :—

(1) Any reference in the said Act to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or the corresponding functionary in existence, in that State :

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is, or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision of the said Act for the commencement thereof, the provisions of the said Act shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of the said Act and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the said Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

(Shanker Dayal Sharma)
PRESIDENT

[No. 11013/4/93-NE-III]
NILIMA JAUHARI, Director (NEC)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994